

अध्याय - 8

आरक्षण

[1]

पत्रांक-11/वि०-2-पि०व०आ०-6/2005 सा०-2927

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद, पटना।

सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।

सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग बिहार, पटना।

सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना।

पटना-15, दिनांक 21 जुलाई, 2010

विषय- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम-1991) बिहार अधिनियम-3/1992 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) का सम्प्रेषण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-7414 दिनांक- 12.11.2008 द्वारा राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की सूची परिचालित की गई है। कालक्रम से बिहार अधिनियम-3/1992 में अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाता रहा है, जिसे जनसधारण की जानकारी के लिए पुनः परिचालित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

2. उक्त परिपेक्ष्य में बिहार अधिनियम-3, 1992 के अन्तर्गत अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) की अद्यतन सूची सुलभ प्रसंग हेतु प्रेषित की जा रही है।

3. अनुरोध है कि इसे अधीनस्थ कार्यालयों/पदाधिकारियों के बीच परिचालित कर दिया जाय, ताकि संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। परंतु किसी जाति विशेष के संबंध में संदेह होने पर मूल अधिनियम एवं संकल्प की प्रविष्टि का संदर्भ लिया जाए।

अनु०-यथावत्।

विश्वासभाजन

सरयुग प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव।

अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची
(अनुसूची-1)

1.	कपरिया	1.	Kapadia
2.	कानू/हलवाई	2.	Kanu/Halwai
3.	(विलोपित)	3.	Deleted
4.	कलन्दर	4.	Kalandar
5.	कोछ	5.	Kochh
6.	कुर्मी (महतो) झारखंड स्वशासी क्षेत्र	6.	Kurmi (Mahto) (Jharkhand autonomous area)
7.	केवट (कउट)	7.	Kewat (Kaut)
8.	कादर	8.	Kadar
9.	कोरा	9.	Kaura
10.	कोरकू	10.	Korku
11.	केवर्त	11.	Kaibart
12.	(विलोपित)	12.	Deleted
13.	खटवा	13.	Khatwa
14.	(विलोपित)	14.	Deleted
15.	खतौरी	15.	Khatouri
16.	खंगर	16.	Khangar
17.	खटिक	17.	Khatik
18.	खेलटा	18.	Khelta
19.	खतवे	19.	Khatwe
20.	(विलोपित)	20.	Deleted
21.	गोड़ी (छावी)	21.	Gorhi (Chhabi)
22.	गंगई (गणेश)	22.	Gangai (Ganesh)
23.	गंगोता	23.	Gangota
24.	विलोपित	24.	Deleted
25.	गंधर्व	25.	Gandharb
26.	गुलगुलिया	26.	Gulgulia
27.	विलोपित	27.	Deleted
28.	चांय	28.	Chain
29.	चपोता	29.	Chapota

30.	चन्द्रवंशी (कहार, कमकर)	30.	Chandrabansi (Kahar, Kamkar)
31.	टिकुलहार	31.	Tikulhar
32.	ढेकारु	32.	Dhekaru
33.	तांती (ततवा)	33.	Tanti (Tatwa)
34.	तमरिया	34.	Tamaria
35.	तुरहा	35.	Turha
36.	तियर	36.	Tiar
37.	(विलोपित)	37.	Deleted
38.	धानुक	38.	Dhanuk
39.	धामिन	39.	Dhamin
40.	धीमर	40.	Dhimar
41.	धनवार	41.	Dhanwar
42.	नोनिया	42.	Nonia
43.	नइया	43.	Naiya
44.	नाई	44.	Nai
45.	नामशुद्र	45.	Namsudar
46.	पाण्डी	46.	Pandi
47.	पाल (भेड़िहार, गड़ेरी)	47.	Pal (Bherihar, Gareri)
48.	प्रधान	48.	Pradhan
49.	पिनगनिया	49.	Pingania
50.	पहिरा	50.	Pahira
51.	वारी	51.	Bari
52.	बेलदार	52.	Beldar
53.	बिन्द	53.	Bind
54.	(विलोपित)	54.	Deleted
55.	सेखड़ा	55.	Shekhra
56.	बागदी	56.	Bagdi
57.	भुईयार	57.	Bhuiyar
58.	भार	58.	Bhar
59.	(विलोपित)	59.	Deleted
60.	भास्कर	60.	Bhaskar

61.	माली (मालाकार)	61.	Mali (Malakar)
62.	मांगर	62.	Mangar
63.	मदार	63.	Madar
64.	मल्लाह	64.	Mallah
65.	मझवार	65.	Majhwar
66.	मारकण्डे	66.	Markandey
67.	मोरियारी	67.	Moriyari
68.	मलार (मालहोर)	68.	Malar (Malhor)
69.	मौलिक	69.	Molik
70.	राजधोबी	70.	Rajdhobi
71.	राजभर	71.	Rajbhar
72.	रंगवा	72.	Rangwa
73.	वनपर	73.	Banpar
74.	(विलोपित)	74.	Deleted
75.	सौटा (सोता)	75.	Shota (Shota)
76.	संतराश (केवल नवादा जिले के लिए)	76.	Sang-Trash (for Nawada district only)
77.	(विलोपित)	77.	Deleted
78.	अघोरी	78.	Aghouri
79.	अबदल	79.	Abdal
80.	कसाब (कसाई) (मुस्लिम)	80.	Kasab (Kasai) (Muslim)
81.	चीक	81.	Chik (Muslim)
82.	डफाली (मुस्लिम)	82.	Dafali (Muslim)
83.	धुनिया (मुस्लिम)	83.	Dhunia (Muslim)
84.	धोबी (मुस्लिम)	84.	Dhobi (Muslim)
85.	नट (मुस्लिम)	85.	Nut (Muslim)
86.	पमरिया (मुस्लिम)	86.	Pamaria (Muslim)
87.	भठियारा (मुस्लिम)	87.	Bhathiara (Muslim)
88.	भाट (मुस्लिम)	88.	Bhat (Muslim)
89.	मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)	89.	Mehtar, Lalbegia, Halalkhor, Bhangi (Muslim)
90.	मिरियासीन, (मुस्लिम)	90.	Miriasin (Muslim)
91.	मदारी (मुस्लिम)	91.	Madari (Muslim)

92.	मोरशिकार, (मुस्लिम)	92.	Meershikar (Muslim)
93.	साई/फकीर/दिवान/मदार (मुस्लिम)	93.	Saeen/Fakir/Diwan/Madar (Muslim)
94.	मोमिन (मुस्लिम) (जुलाहा/अंसारी)	94.	Momin (Muslim) (Julaha/Ansari)
95.	अमात	95.	Amat
96.	चुड़ीहार (मुस्लिम)	96.	Churihar (Muslim)
97.	प्रजापति (कुम्हार)	97.	Prajapati (Kumhar)
98.	राईन या कुंजरा (मुस्लिम)	98.	Raeen or Kunjara (Muslim)
99.	सोयर	99.	Soyar
100.	ठकुराई (मुस्लिम)	100.	Thakurai (Muslim)
101.	नागर	101.	Nagar
102.	शेरशाहबादी	102.	Shershahbadi
103.	बक्खो (मुस्लिम)	103.	Bakkho (Muslim)
104.	अदरखी	104.	Adrakhi
105.	छीपी	105.	Chhipi
106.	तिली	106.	Tili
107.	इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)	107.	Idrisi or Darji (Muslim)
108.	सैकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)	108.	Saikalgar (Sikalgar) (Muslim)
109.	रंगरेज (मुस्लिम)	109.	Rangrej (Muslim)
110.	सिंदुरिया बनिया	110.	Sinduria Bania
111.	मुकेरी (मुस्लिम)	111.	Mukeri (Muslim)
112.	ईटफरोश/ईटाफरोश/गदहेड़ी/ईटपज इब्राहिमी (मुस्लिम)	112.	Itfarosh/Itafarosh/Gadheri/Itpaj Ibrahimi (Muslim)
113.	बढई	113.	Barhi
114.	पटवा	114.	Patwa
115.	कमार (लोहार और कर्मकार)	115.	Kamar (Lohar & Karmkar)
116.	देवहार	116.	Dewhar

नोट : उन जातियों तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों जातियों को समझना चाहिए, जैसे तेली में दोनों :- हिन्दू तथा मुसलमान तेली।

2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 (बिहार अधिनियम-3/1992) के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में जिन जातियों/वर्गों का समावेशन/विलोपन किया गया है, उसका विवरण निम्नांकित है :-

सूची क्र०	जाति का नाम	अधिनियम/संकल्प संख्या
2.	'कानू' के साथ 'कानू/हलवाई' के रूप में शामिल किया गया।	संकल्प सं०-1169, दिनांक 25.03.2010
6	कुर्मी (महतो) केवल छोटानागपुर डिविजन के लिए विलोपित कर कुर्मी (महतो) झारखंड स्वशासी क्षेत्र अंकित किया गया।	संकल्प सं०-110, दिनांक 24.07.1997
22	गंगाई (नगेश) के स्थान पर गंगई (गणेश)	संकल्प सं०-2836, दिनांक 21.08.2007
24	विलोपित	संकल्प सं०-695, दिनांक 28.02.2007
27	विलोपित	संकल्प सं०-695, दिनांक 28.02.2007
30	कमकर	संकल्प सं०-8, दिनांक 08.01.2004
64	(सुरहिया) विलोपित	संकल्प सं०-653, दिनांक 22.02.2007
93	फकीर, दिवान, मदार (मुस्लिम)	संकल्प सं०-97, दिनांक 03.03.2003
94	जुलाहा/अंसारी	संकल्प सं०-432, दिनांक 16.09.2002
95	अमात	बिहार अधिनियम-6/1996
96	चुड़ीहार (मुस्लिम)	बिहार अधिनियम-6/1996
97	प्रजापति (कुम्हार)	बिहार अधिनियम-6/1996
98	राईन या कुंजरा (मुस्लिम)	बिहार अधिनियम-6/1996
99	सोयर	बिहार अधिनियम-6/1996
100	ठकुशाई (मुस्लिम)	संकल्प सं०-178, दिनांक 18.12.1995
101	नागर	संकल्प सं०-135, दिनांक 04.09.1996
102	शेरशाहबादी	संकल्प सं०-135, दिनांक 04.09.1996
103	बकखो (मुस्लिम)	संकल्प सं०-183, दिनांक 27.11.1996
104	अदरखी	संकल्प सं०-183, दिनांक 27.11.1996
105	छिपी	संकल्प सं०-183, दिनांक 27.11.1996
106	तिली	संकल्प सं०-109, दिनांक 24.07.1997
107	इदरीशी या दर्जी (मुस्लिम)	संकल्प सं०-34, दिनांक 17.03.1998
108	सैकलगर (सिकलगर) मुस्लिम	संकल्प सं०-165, दिनांक 20.12.1997
109	रंगरेज (मुस्लिम)	संकल्प सं०-211, दिनांक 10.04.2001
110	सिन्दुरिया बनिया	संकल्प सं०-129, दिनांक 02.04.2002
111	मुकेरी (मुस्लिम)	संकल्प सं०-673, दिनांक 23.11.2001
112	ईटफरोश/ईटाफरोश/गदहेड़ी/ईटपज इब्राहिमी (मुस्लिम)	संकल्प सं०-499, दिनांक 16.10.2003
113	बढ़ई	संकल्प सं०-2844, दिनांक 12.06.2009
114	पटवा	संकल्प सं०-2845, दिनांक 12.06.2009
115	कमार (लोहार और कर्मकार)	संकल्प सं०-1170, दिनांक 25.03.2010
116	देवहार	संकल्प सं०-2413, दिनांक 21.06.2010

नोट : बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 (बिहार अधिनियम-3/1992) के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-3, 12, 14, 20, 37, 54, 59, 74, 77 पर अंकित जातियों को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप स्वतः विलोपित समझे जायेंगे।

पिछड़े वर्गों की सूची

(अनुसूची-2)

1.	(विलोपित)	1.	Deleted
2.	कागजी	2.	Kagji
3.	विलोपित	3.	Deleted
4.	कुशवाहा (कोईरी)	4.	Kushwaha (Koiri)
5.	कोस्ता	5.	Kosta
6.	गद्दी	6.	Gaddi
7.	घटवार	7.	Ghatwar
8.	(विलोपित)	8.	Deleted
9.	चनउ	9.	Chanau
10.	जदुपतिया	10.	Jadupatia
11.	जोगी (जुगी)	11.	Jogi (Jugi)
12.	तमोली	12.	Tamoli
13.	तेली	13.	Teli
14.	विलापित	14.	Deleted
15.	नालबंद (मुस्लिम)	15.	Nalband (Muslim)
16.	(विलोपित)	16.	Deleted
17.	परथा	17.	Partha
18.	विलापित	18.	Deleted
19.	बड़ई	19.	Barai
20.	बनिया—[सूढ़ी, मोदक/मायरा, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार (कलाल/एराकी), (वियाहुत कलवार), कमलापुरी वैश्य, माहुरीवैश्य, अवधबनिया, बंगीवैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरीवैश्य, वैश्य पोदार, कसौधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार (पूर्वी/पश्चिमी चम्पारण हेतु) कैथल वैश्य/कथबनिया, सामरी वैश्य]	20.	Bania [Sundi, Modak/Maira, Roniar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Kalwar (Katal/Eraki) (Biahut Kalwar), Kamalapuri Vaishya, Mahuri Vaishya, Awadh bania, Bangi Vaishya (Bengali Bania), Barnwal, Agrahari Vaishya, Vaishya Poddar, Kasaudhan, Gandhbanik, Batham Vaishya, Goldar (East/West Champaran) Kaithal Vaishya/Kath Bania, Samari Vaishya]

21.	(विलोपित)	21.	Deleted
22.	यादव—(ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला)	22.	Yadav— (Gwala, Ahir, Gora, Ghasi, Mehar, Sodgop, Lakshmi Narain Gola)
23.	राजवंशी (रिसिया या पोलिया)	23.	Rajbanshi (Risya or Polia)
24.	(विलोपित)	24.	Deleted
25.	रौतिया	25.	Rautia
26.	(विलोपित)	26.	Deleted
27.	लहेड़ी	27.	Laheri
28.	शिवहरी	28.	Shivhari
29.	सोनार	29.	Sonar
30.	सूत्रधार	30.	Sutradhar
31.	सुकियार	31.	Sukiar
32.	(विलोपित)	32.	Deleted
33.	ईसाई धर्मावलंबी (हरिजन)	33.	Isai Dharmawalambi (Harijan)
34.	ईसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाति)	34.	Ishai Dharmawalambi (Anya Pichari Jati)
35.	कुर्मी	35.	Kurmi
36.	भाट/भट/ब्रह्मभट/राजभट (हिन्दू)	36.	Bhaat/Bhat/Brahmbhat/Rajbhat (Hindu)
37.	दांगी	37.	Dangi
38.	कुल्हैया	38.	Kulhaiya
39.	जट (हिन्दू) (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए)	39.	Jat (Muslim) (for Saharsa, Supaul, Madhepura and Araria districts)
40.	जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए)	40.	Jat (Muslim) (for Madhubani, Darbhanga, Sitamarhi, Khagaria and Araria districts)
41.	मडरिया (मुस्लिम) (मात्र भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के धोरैया प्रखंड के लिए)	41.	Madaria (Muslim) (only for Sanhaua Block of Bhagalpur District and Dhoraia Block of Banka District)
42.	दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए)	42.	Donwar (only for Madhubani and Supaul districts)
43.	सुरजापुरी मुस्लिम (शेख सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए)	43.	Surjapuri Muslim (excluding Shekh, Syed, Mallik, Mogal, Pathan) (only for Purnea, Katihar, Kishanganj and Araria districts)
44.	मलिक (मुस्लिम)	44.	Mallik (Muslim)

नोट : उन जातियों तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों जातियों को समझना चाहिए। जैसे तेली में दोनों :- हिन्दू तथा मुसलमान तेली।

2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 (बिहार अधिनियम-3/1992) के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में जिन जातियों का समावेशन/विलोपन किया गया है, उसका विवरण निम्नांकित है:-

सूची क्र०	जाति का नाम	अधिनियम/संकल्प संख्या
1	2	3
03	कमार (लोहार और कर्मकार)	संकल्प सं०-1170, दिनांक 25.03.2010
14	देवहार	संकल्प सं०-2413, दिनांक 21.06.2010
18	बड़ई	संकल्प सं०-2844, दिनांक 12.06.2009
20	कसौधन	बिहार अधिनियम-6/1996
20	कलाल/एराकी	संकल्प सं०-164, दिनांक 17.10.1996
20	गंधबनिक	संकल्प सं०-110, दिनांक 24.07.1997
20	वियाहुत कलवार	संकल्प सं०-79, दिनांक 28.05.1998
20	मोदक/मायरा	संकल्प सं०-615, दिनांक 15.10.2001
20	बाथम वैश्य	संकल्प सं०-102, दिनांक 21.03.2001
20	पोदार के स्थान पर वैश्य पोदार	संकल्प सं०-2078, दिनांक 15.06.2007
20	गोलदार (पूर्वी/पश्चिमी चम्पारण हेतु)	संकल्प सं०-01, दिनांक 02.01.2002
20	कैथल वैश्य/कथ बनिया	संकल्प सं०-248, दिनांक 24.06.2002
20	सामरी वैश्य	संकल्प सं०-03, दिनांक 09.01.2001
20	हलवाई	संकल्प सं०-1169, दिनांक 25.03.2010
20	पटवा	संकल्प सं०-2845, दिनांक 12.06.2009
22	सदगोप	संकल्प सं०-283, दिनांक 05.06.2003
22	लक्ष्मी नारायण गोला	संकल्प सं०-328, दिनांक 22.12.2000
35	कुर्मी (महतो) से (महतो) विलोपित	संकल्प सं०-1292, दिनांक 13.04.2007
36	भाट/भट/ब्रह्मभट/राजभट (हिन्दू)	संकल्प सं०-40, दिनांक 03.01.2007
37	दाँगी	बिहार अधिनियम-6/1996
38	कुल्हैया	संकल्प सं०-135, दिनांक 04.09.1996
39	जट (हिन्दू) (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए)	संकल्प सं०-277, दिनांक 06.11.2000
40	जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए)	संकल्प सं०-277, दिनांक 06.11.2000
41	मडरिया (मुस्लिम) (भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के धौरैया प्रखंड के लिए)	संकल्प सं०-177, दिनांक 13.05.2002
42	दोनवा (मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए)	संकल्प सं०-530, दिनांक 26.11.2002
43	सुरजापुरी मुस्लिम (शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए)	संकल्प सं०-500, दिनांक 16.10.2003
44	मलिक (मुस्लिम)	संकल्प सं०-3176, दिनांक 29.05.2008

नोट : पिछड़े वर्गों के अनुसूची-2 के क्रमांक-1, 3, 8, 14, 16, 18, 20 (सिन्दुरिया बनिया), 20 (हलवाई), 20 (पटवा), 21, 24, 26 एवं 32 में अंकित जातियों को विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-क्रमशः 95, 115, 96, 116, 97, 113, 110, 02, 114, 111, 109, 98 एवं 107 पर समावेशित किया गया।

[2]

पत्रांक-11/वि० 6-भा०स०-01/2006 का०-1684

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी जिलाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 04 मई, 2010

विषय- अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) की अद्यतन केन्द्रीय सूची का प्रेषण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- NCBC/ 1/4 (9)/RW-2010 दिनांक 15.04.2010 द्वारा प्राप्त अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) की अद्यतन केन्द्रीय सूची की छाया प्रति सुलभ निदेश हेतु संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रसंग की सूचना अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी देने का कष्ट किया जाय।

अनु०-यथावत्।

विश्वासभाजन

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

Government of India

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

त्रिकूट-1, भीकाएजी कामा प्लेस,

नई दिल्ली-110066

Trikoot-1, Bhikaiji Cama Place,

New Delhi- 110066

15th April, 2010

No. NCBC/1/4/(9)/RW-2010

To

Shri Damodar Prasad

Member-Secretary

State Commission for Backward Classes

12/A, Jawahar Lal Nehru Marg,

Bihar, Patna-800001

Subject- Recommendation for inclusion of those Castes/Communities which are included in the Bihar State List of OBCs but not included in the Central List of OBCs for the State of Bihar: reg

Sir,

I am directed to refer to your letter No. S.C.B.C. Estt.- 14/2000/478 dated 26.02.10 and Deptt. of Personnel & Administrative Reforms, Govt. of Bihar, letter dated 19th March, 2010 on the above cited subject and to say that the subject matter is under consideration of the Commission. A copy of latest Central List of OBCs for the State of Bihar is enclosed. All Gazette Notifications with regard to Central List of OBCs are available at the website of the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India, viz: [www. socialjustice. nic. in](http://www.socialjustice.nic.in)

Yours faithfully

Babu Santosh Kumar

Research Officer

Encls: as a/a.

Copy to:-

Shri Saryug Prasad, Deputy Secretary, Deptt. of Personnel & Administrative Reforms, Government of Bihar, Patna, Bihar

Babu Santosh Kumar

Research Officer

CENTRAL LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES

Sl. No.	Name of the Castes/Sub-castes/Synonyms/Communities	Entry No. in the Central List
	BIHAR	
1	Abdal	1
2	Agariya	2
3	Aghori	3
4	Amaat	4
5	Bagdi	77
6	Bakho (Muslim)	130
7	Banpar	113
8	Barai	82
9	Barhai (Viswakarma)	81
10	Bari	78
11	Beldar	79
12	Bhar	85
13	Bhaskar	86
14	Bhat, Bhatt	88
15	Bhathiara (Muslim)	84
16	Bind	80
17	Bhuihar, Bhuiyar	87
18	Chain, Chayeen	39
19	Chapota	40
20	Chandrabanshi (Kahar)	41
21	Chanou	43
22	Chik (Muslim)	38
23	Christian converts from Other Backward Classes	121
24	Christian converts from Scheduled Castes	120
25	Churihar (Muslim)	42
26	Dafali (Muslim)	46
27	Dangi	123
28	Devhar	55
29	Dhamin	59
30	Dhanuk	56
31	Dhanwar	122
32	Dhankar	60
33	Dhekaru	47

34	Dhimar	61
35	Dhobi (Muslim)	57
36	Dhunja (Muslim)	58
37	Gaddi	30
38	Gandarbh or Gandharb	31
39	Gangai (Ganesh)	32
40	Gangota, Gangoth	33
41	Ghatwar	37
42	Godi (Chhava)	29
43	Gorh, Gonrh (only in the district of Saran & Rohtas)	34
44	Goud	36
45	Gulgaliya	35
46	Idrisi or Darzi (Muslim)	119
47	Jogi (Jugi)	44
48	Kadar	7
49	Kaivartta/Kaibartta	8
50	Kagzi	16
51	Kalandar	9
52	Kalwar Kalal, Eraqui	124 (a) 124 (b)
53	Kamar (Lohar, Karmakar, Visvakarma)	18
54	Kanu	17
55	Kapadia	20
56	Kasab (Kasai) (Muslim)	5
57	Kaura	10
58	Kawar	11
59	Kewat	6
	Keot	
60	Khadwar (only in the district of Sivan and Rohtas)	26
61	Khangar	23
62	Khatik	22
63	Khatwa	24
64	Khatwe	25
65	Khelta	28
66	Khetauri, Khatauri	27
67	Kochh	12

68	Korku	13
69	Kosta, Koshta	21
70	Kumarbhag Pahadia	14
71	Kulahia	125
72	Kurmi	15
	Kurmi (Mahto) (in Chhotanagpur Division only)	
73	Kushwaha (Koeri)	19
74	Laheri	112
75	Madar	100
76	Madari (Muslim)	91
77	Mehtar,)	92
	Lalbegi,) (Muslim)	
	Halalkhor,)	
	Bhangi)	
78	Majhwar	94
79	Malar (Malhar)	95
80	Mali (Malakar)	89
81	Mallah (Surhiya, Kewat Murawari)	90
82	Mangar (Magar)	96
83	Markande	97
84	Maulik	98
85	Mauriaro, Mauriara	101
86	Miriasin (Muslim)	93
87	Mirshikar (Muslim)	102
88	Momin (Muslim)	103
89	Mukri (Mukeri) (Muslim)	99
90	Nagar (This does not include Maithili Brahmins and immigrant Nagars from other States who are Brahmins and Baniyas)	128
91	Nai	62
92	Naiya	66
93	Nalband (Muslim)	67
94	Namshudra	65
95	Nat (Muslim)	63
96	Nunia, Nonia	64
97	Pahira	74
98	Pal (Bherihar-Gaderi), Gaderia	75

99	Pamaria (Muslim)	68
100	Pandi	70
101	Parya	72
102	Pinganiya	71
103	Pradhan	73
104	Prajapati (Kumbhar)	69
105	Rajbanshi (Risiya and Poliya)	107
106	Rajbhar	105
107	Rajdhobi	106
108	Rangwa	108
109	Rangrez (Muslim)	109
110	Rauttiya	110
111	Rayeen or Kunjra (Muslim)	111
112	Sangatrash (Only in the district of Nawadah)	118
113	Sauta (Sota)	115
114	Sayee (Muslim)	116
115	Shekhra	76
116	Shershahbadi	126
117	Shivhari	114
118	Sonar, Sunar	117
119	Sudi, Halwai, Roniyar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Patwa, Sinduriya- Bania, Mahuri-Vaishya, Avadh-Bania, Agrahari- Vaishya	83
120	Sukiyar	127
121	Tamariya	50
122	Tamoli, Tamboli	52
123	Tanti (Tatwa), Tati, Tatin	48
124	Teli	53
125	Tharu	54
126	Thakurai (Muslim)	131
127	Tikulhar	45
128	Tiyar	51
129	Turha	49
130	Yadav (Gwala, Ahir, Gope, Sadgope)	104
131	Saikalgar (Sikligar) (Muslim)	129

[3]

पत्रांक-11/वि०5-न्याय-09/98सा०-1565

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना-15, दिनांक 27 अप्रैल, 2010

विषय- निर्धारित नवीनतम प्रपत्र में ओ०बी०सी० संबंधी क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्याधीन ओ०बी०सी० संबंधी क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र पुराने प्रपत्र में निर्गत किया जा रहा है। फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा इसे अमान्य कर दिये जाने के कारण आवेदकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोकहित में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय झापन संख्या-36033/03/2004 स्था० (आ०) दिनांक 14.10.2008 पर आधारित नवीनतम प्रपत्र में क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त परिस्थिति में एतद् संबंधी नवीनतम प्रपत्र (हिन्दी एवं अँग्रेजी में) प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि नवीनतम प्रपत्र में ही आवेदकों को प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथावत्।

विश्वासभाजन,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES CANDIDATES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____
Son/ daughter* of Sh. _____ of Village/ Town* _____
in District/Division* _____ of the State/ Union Territory* _____
belongs to the _____ Community which is recognised as a backward class under:

- @ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC (C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No.186 dated 13th September, 1993.
- @ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19.10.1994, published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No.163 dated 20.10.1994.
- @ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24.05.95, published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No.88 dated 25.05.1995.
- @ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996, published in the Gazette of India Extra ordinary part-I, Section- I, No. 60 dated 11th March, 1996.
- @ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No.210 dated 11th December, 1996.
- @ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No.236 dated 12th December, 1997.
- @ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No.239 dated 17th December, 1997.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27th October,1999 published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No. 241 dated 27th October, 1999.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6th December, 1999, published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No. 270 dated 6th December, 1999.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No.71 dated 4th April, 2000.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No. 210 dated 21st September, 2000.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No. 246 dated 6th September, 2001.

- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated the 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No.151 dated 20th June, 2003.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No. 9 dated 13th January, 2004.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2002-BCC dated 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extra ordinary Part-I, Section- I, No. 67 dated 12th March, 2007.

Shri/Shrimati/Kumari* _____ and/or* his/ her* family ordinarily reside(s) in village/town* _____ of _____ District/Division* or the State/ Union Territory* of _____.

This is also to certify that he/ she* does not belong to the persons/ sections* (Creamy Layer) mentioned in column-3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08.09.1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14th October, 2008.

Signature _____

**Designation _____

(With seal of Office State/Union Territory)

Place: _____

Dated: _____

*Please delete the words which are not applicable.

@ Strike out whichever is not applicable.

**भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों
द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री पिता/पति का नाम
ग्राम/महल्ला.....पोस्ट.....थाना.....जिला.....
प्रमण्डल.....राज्य बिहार के हिन्दू/मुस्लिम धर्म अन्तर्गत.....

जाति के सदस्य हैं, जिसे निम्नानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/68/93 बी०सी०सी० सी० दिनांक 10.09.1993 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-186 दिनांक 13.09.1993 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/9/94 बी०सी०सी० दिनांक 19.10.1994 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-163 दिनांक 20.10.1994 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/7/95 बी०सी०सी० दिनांक 24.05.1995 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-88 दिनांक 25.05.1995 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/96/94 बी०सी०सी० दिनांक 09.03.1996 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-60 दिनांक 11.03.1996 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/44/96 बी०सी०सी० दिनांक 06.12.1996 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-210 दिनांक 11.12.1996 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/99/94 बी०सी०सी० दिनांक 11.12.1997 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-236 दिनांक 12.12.1997 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/13/97 बी०सी०सी० दिनांक 03.12.1997 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-239 दिनांक 17.12.1997 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/68/98 बी०सी०सी० दिनांक 27.10.1999 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-241 दिनांक 27.10.1999 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/88/98 बी०सी०सी० दिनांक 06.12.1999 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-270 दिनांक 06.12.1999 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/36/99 बी०सी०सी० दिनांक 04.04.2000 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-71 दिनांक 04.04.2000 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/44/99 बी०सी०सी० दिनांक 21.09.2000 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-210 दिनांक 21.09.2000 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/09/2000 बी०सी०सी० दिनांक 06.12.2001 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-246 दिनांक 06.12.2001 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/01/2001 बी०सी०सी० दिनांक 19.06.2003 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-151 दिनांक 20.06.2003 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/04/2002 बी०सी०सी० दिनांक 13.01.2004 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-09 दिनांक 13.01.2004 के आलोक में पहचान किए गए हैं।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/14/2004 बी०सी०सी० दिनांक 12.03.2007 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-67 दिनांक 12.03.2007 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुश्री एवं इनके परिवार सामान्यतः
 ग्राम/ महल्ला.....पोस्टजिलाप्रमण्डल
 राज्य बिहार के निवासी हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22 1993 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 08.09.1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/3/2004 स्था० (आ०) दिनांक 09.03.2004 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/03/2004 स्था० (आ०) दिनांक 14.10.2008 के स्तम्भ-3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते/आती हैं।

स्थान.....
 दिनांक.....

हस्ताक्षर
 पदनाम.....

(मुहर सहित)
 बिहार राज्य

[4]

पत्रांक-11/आ० 2-आ०नी०-09/2006 (अंश) का०-1171

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 25 मार्च, 2010

विषय- लोहारा/लोहरा (Lohara/Lohra) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 धारा-9 (1) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे। उक्त अधिनियम की धारा-9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9 (1) के तहत निम्नांकित सलाह दी गयी है-

बिहार में 'लोहार' (Lohar) जाति से भिन्न कुछ थोड़े लोग लोहारा/लोहरा (Lohara/Lohra) हैं, जो संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 से लेकर संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन विधेयक, 2006 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज हैं, उनके आवेदन देने पर उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निदेश दिया जाय।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में निदेश है कि आवेदन देने पर लोहारा/लोहरा (Lohara/Lohra) जाति के सदस्यों को नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय। उक्त आशय की सूचना संबंधित जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवश्य देने का कष्ट करेंगे।

विश्वासभाजन,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना-15, दिनांक 25. 03. 2010

विषय- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-3 पर 'कमार' (लोहार और कर्मकार) जाति अंकित है, को उस स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के अंत में क्रमांक-115 पर शामिल करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 धारा-9 (1) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे। उक्त अधिनियम की धारा-9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

2. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9 (1) के तहत निम्नांकित सलाह दी गयी है-

पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-3 पर दर्ज 'कमार' (लोहार और कर्मकार) को विलोपित कर उसे अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में स्वतंत्र रूप से अंतिम प्रविष्टि में शामिल किया जाय।

3. अतः राज्य सरकार ने भलीभाँति विचारोपरांत निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये सलाह की कड़िका-(i) के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-3 पर अंकित 'कमार' (लोहार और कर्मकार) को उस स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के अंत में क्रमांक-115 पर शामिल किया जाय।

उक्त समावेशन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पषद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यंत पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होंगी।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पषद, पटना/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा, पटना/बिहार विधान परिषद, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-11/आ०2-आ०नी०-09/2006 (अंश) का०-1170

पटना-15, दिनांक 25.03.2010

प्रतिलिपि- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 200 प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-11/आ०2-आ०नी०-09/2006 (अंश) का०-1170

पटना-15, दिनांक 25.03.2010

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधानसभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/ सभी विश्वविद्यालय/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

[6]



सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र 1932 (श०)

(सं० पटना 203)

पटना, वृहस्पतिवार, 25 मार्च 2010

सं० 11/वि० 2-पि०व०आ०-01/2010-का०-1169

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

25 मार्च 2010

विषय- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर 'बनिया' जाति की उप-जाति के रूप में दर्ज 'हलवाई' जाति अंकित है अथवा शामिल है, को उस स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-02 पर दर्ज 'कानू' के साथ "कानू/हलवाई" के रूप में दर्ज/शामिल करने के संबंध में।

417

आरक्षण

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 धारा-9 (1) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे। उक्त अधिनियम की धारा-9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

2. पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग, बिहार ने बिहार अधिनियम, 12, 1993 की धारा-9 (1) के तहत 'हलवाई' जाति के संबंध में राज्य सरकार को सलाह दी है कि 'पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर 'बनिया' जाति की उप-जातियों के रूप में जो 'हलवाई' जाति दर्ज है, उसे विलोपित कर दिया जाय और 'हलवाई' जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-2 पर 'कानू' जाति के साथ 'कानू/हलवाई' के रूप में दर्ज किया जाय।'

3. अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरांत निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम 3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर 'बनिया' जाति की उप-जाति के रूप में दर्ज 'हलवाई' जाति अंकित है अथवा शामिल है, को उस स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-02 पर दर्ज 'कानू' के साथ 'कानू/हलवाई' के रूप में दर्ज/शामिल रहेगा।

उक्त विलोपन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्वद, नगरपालिका, अर्द्ध-सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यंत पिछड़े वर्गों (अनुसूची-1) को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होंगी।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

अतुल कुमार सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना-15, दिनांक 14. 01. 2010

विषय— तदर्थ प्रोन्नति अथवा कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभार दिये जाने के क्रम में रोस्टर क्लियरेंस करने तथा संभावित रिक्तियों की गणना प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रिल की स्थिति के आधार पर करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि परिपत्र संख्या 9070 दिनांक 12.12.2008 के द्वारा तदर्थ प्रोन्नति अथवा कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभार दिये जाने के क्रम में कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह अंकित किया गया था :-

“कार्यकारी प्रभार तात्कालिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु की गयी व्यवस्था होती है, अतः इसे नियमित प्रोन्नति की कड़ी नहीं माना जा सकता तथा ऐसे मामलों में प्रभार दिये जाने की तिथि से प्रोन्नति का दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार इसमें आरक्षण को प्रभावी बनाना आवश्यक नहीं, बशर्ते कि यह आंतरिक व्यवस्था के तहत अल्पावधि के लिये हो तथा जिससे वरीयता/योग्यता बाधित न हो।”

उपर्युक्त पत्र द्वारा अंकित प्रोन्नति के पद पर कार्यकारी प्रभार के संबंध में व्यवस्था करने का प्रावधान आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कार्यहित में दिया गया था। परन्तु विभिन्न स्रोतों से इस निदेश की मूल भावना से विपरीत हो रही लंबी अवधि की कार्यकारी व्यवस्था एवं तदनुसार अवहेलनाओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है।

जैसा कि उक्त परिपत्र में भी अंकित है, वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7020 दिनांक 24.12.2005 की कंडिका-2 के अनुसार उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार देने के पूर्व प्रशासी विभाग की वरीयता-सह-योग्यता अथवा लागू संवर्गीय नियमावली के क्रम में निर्धारित अर्हता प्राप्त पदाधिकारियों की सूची बनाकर आरक्षण संबंधी राज्य सरकार की नीतियों का अनुपालन करते हुए ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करना है।

इस संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16.7.2007 के प्रावधानों को भी दृष्टिगत रखने की आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि संवर्ग समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रिल की तिथि के आधार पर रिक्तियों की गणना की जाय।

वित्त विभाग के ऊपर वर्णित परिपत्र एवं इस विभाग के संकल्प के आलोक में अनुरोध है कि प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रिल को उस वर्ष में प्रत्याशित रिक्तियों के आधार पर सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त कर पूर्व से पैनल तैयार रखा जाए तथा उक्त पैनल के आधार पर ही आवश्यकतानुसार कार्यकारी प्रभार की कार्रवाई की जाय। यह ध्यान रखने की

आवश्यकता होगी कि उपर्युक्त अनुसार यदि पैनल तैयार नहीं होता है तो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रोन्नति के पद पर कार्यकारी व्यवस्था करने में विभाग को कठिनाइयाँ होंगी।

इस परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
अतुल कुमार सिन्हा
सरकार के उप सचिव।

[8]

पत्रांक-11/आ० 2-आ०नी०-09/2008 का०-5479

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 10 नवम्बर, 2009

विषय- 'खरवार' जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार 'खरवार' जाति सम्पूर्ण बिहार हेतु अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है। एतद् संबंधी सूची कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-225 दिनांक 16.01.07 द्वारा परिचारित की जा चुकी है।

विभिन्न स्रोतों यथा राज भवन सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, जनता दरबार, जन शिकायत आदि के माध्यम से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि 'खरवार' जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके निदान हेतु लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

विदित हो कि इस संदर्भ में विभागीय परिपत्र संख्या-101 दिनांक 19.02.1980, परिपत्र सं० 118 दिनांक 17.06.1988 एवं पत्रांक-46 दिनांक 26.03.1996 द्वारा भी समय-समय पर निदेश दिये जाते रहे हैं। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित तथ्यों के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय :-

(क) राजस्व अभिलेख ।

(ख) 'खरवार' जाति के भूमिहीन सदस्यों के संबंध में पंचायत स्तर या प्रखण्ड स्तर पर ऐसे अभिलेख, जिसमें जाति का उल्लेख किया जाता है।

(ग) जाँच के क्रम में ऐसे पुराने अभिलेख, जो भूमि अथवा मकान से संबंधित हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय परिपत्र संख्या-173 दिनांक 09.11.1996 एवं परिपत्र संख्या-105 दिनांक 16.03.2002 में निहित निदेशानुसार संबंधित आवेदकों को नियमानुसार एक माह के अन्दर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है। साथ-ही-साथ जाति प्रमाण-पत्र देय नहीं होने की स्थिति में कारण को स्पष्ट करते हुए इस आशय की भी सूचना आवेदक को एक माह के अंदर देना आवश्यक है।

कृपया उपर्युक्त निदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा इसकी सूचना अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवश्य दी जाय, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के आलोक में 'खरवार' जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

विश्वासभाजन
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

[9]

पत्रांक-11/वि० 5-न्याय-09/98 का०-4096

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 14 अगस्त, 2009

विषय- राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद् एवं विधान सभा सदस्य के पुत्र/पुत्री को अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) का प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93, दिनांक 08.09.1993 के आलोक में विभागीय परिपत्र संख्या-246, दिनांक 09.06.2004 पूर्व में परिचालित किया गया है।

उक्त कार्यालय ज्ञापन के परिशिष्ट-1 की कंडिका-1 (ड) में संवैधानिक पद धारित व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री पर अपवसन का नियम लागू है अर्थात् अपवसन के नियम के तहत उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र देय नहीं है। इस संदर्भ में प्रायः यह प्रश्न उठता रहा है कि राज्य सभा, लोक सभा, विधान परिषद् एवं विधान सभा के सदस्य संवैधानिक पद धारक की श्रेणी में आते हैं अथवा नहीं।

उक्त संदर्भ में विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। परामर्श के आलोक में राज्य सभा, लोक सभा, विधान परिषद् एवं विधान सभा के सदस्य संवैधानिक पद धारक की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस प्रकार इन सदस्यों के पुत्र/पुत्री पर अपवसन का नियम लागू नहीं होगा और उन्हें नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०) का प्रमाण-पत्र देय होगा। तत्आलोक में उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०) का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है। कृपया अधीनस्थ कार्यालयों को इसे परिचालित कर दिया जाय।

विश्वासभाजन,
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना-15, दिनांक 12. 06. 2009

विषय- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर 'पटवा' जाति अंकित है अथवा शामिल है, को उस स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के अंत में क्रमांक-114 पर शामिल करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 धारा-9 (1) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिये किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे। उक्त अधिनियम की धारा-9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

2. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9 (1) के तहत राज्य सरकार को सलाह दी है कि पटवा जाति जो वर्तमान में राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर दर्ज बनिया जाति की उप जाति के रूप में शामिल है, को विलोपित कर दिया जाय और पटवा जाति को राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में अंतिम प्रविष्टि के बाद अगले क्रमांक पर स्तवंत्र रूप में शामिल/दर्ज किया जाय।

3. अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरांत निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम 3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर पटवा जाति अंकित है अथवा शामिल है, को उस स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के अंत में क्रमांक-114 पर शामिल किया जाय।

उक्त विलोपन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्सद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यंत पिछड़े वर्गों (अनुसूची-1) को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होंगी।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/बिहार विधान परिषद्, बिहार पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।